IS 15700:2005

संर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

प्रशासन–अनुभाग

104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226017

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS Bureau of Indian Standards

संख्याः 555 /प्रशा0–एक दिनॉक 10-3-2014

कार्यालय–आदेश

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008 दिनांक 04.05.2010 एवं तत्सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशानुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नियमित अधिष्ठान में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर आदेश संख्या–1860/प्रशा0–एक–22/2010 दिनांक 14.06.2011 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी–2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.12.2008 से सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने के आदेश निर्गत हैं।

आदेश संख्या–460/प्रशा0–एक दिनांक 06.03.2013 के द्वारा परिषद के कार्यप्रभारित कार्मिकों को भी दिनांक 01 जनवरी–2006 से काल्पनिक आधार पर एवं 14.01.2010 से वास्तविक आधार पर छठा वेतनमान लागू किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। पूर्व में परिषद के नियमित अधिष्ठान के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कार्मिको की भॉति समयमान वेतनमान की व्यवस्था से कार्यप्रभारित कर्मी भी आच्छादित हैं। वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी–2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.12.2008 से सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नयी व्यवस्था परिषद में लागू की गयी है।

अतः परिषद की 227वीं बैठक दिनांक 20.02.2014 के मद संख्या–227/18 पर लिये गये निर्णय के कम में शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008 दिनांक 04.05.2010 एवं तत्सम्बन्धी समय समय पर निर्गत संशोधित शासनादेशानुसार परिषद के नियमित कार्यप्रभारित कार्मिकों के लिए लागू समयमान वेतनमान व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01.12.2008 से सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने के एतदद्वारा आदेश दिये जाते हैं।

ह0/

(एम0के0एस0 सुन्दरम)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त।
2. मुख्य अभियंता/वित्त नियंत्रक/मुख्य वास्तुविद् नियोजक।
3. समस्त निदेशक/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/उप निदेशक।
4. समस्त वास्तुविद् नियोजक/सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक।
5. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ।
6. मा0 अध्यक्ष/आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव।
7. प्रशासन अनुभाग के समस्त पटल सहायक।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाइल।

(डी0के0शुक्ल)
अपर आवास आयुक्त/अपर निबं0(प्रशा0)